Sh. Jagat Pal SI
D (Ash)
14/12/2016

DDHE

9446
14/12/2016

संख्याः बीएलएस–एडीआरए–1(855) / 2016–45692
कार्यालय उपायुक्त बिलासपुर,
जिला बिलासपुर, हि०प्र० ।

बिलासपुर,दिनांक 13/12/2016

प्रेषकः

उपायुक्त बिलासपुर,
जिला बिलासपुर, हि०प्र० ।

प्रेषितः

उप–निदेशक उच्च शिक्षा,
बिलासपुर, जिला बिलासपुर, हि०प्र० ।

विषयः– अनापति प्रमाण पत्र के सन्दर्भ में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय पत्र संख्याः शिक्षा बिलासपुर (2) उच्च शिक्षा लैण्ड ट्रांसफर / 2015–16 / 10492–10493 दिनांक 03.11.2016 के द्वारा अनुसूचित जनजाति व अन्य परम्परागत् वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम–2006 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र पर आपके द्वारा वांछित निम्नलिखित प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न करके आपको आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

| Sr.No. | Total Land | Purpose. |
|---|---|---|
| 1. | 2.26 hectare | Diversion of Govt. land for construction of Kendriya Vidyalya, Ghumarwin. |

संलग्न–उपरोक्त ।

भवदीय,

जिला राजस्व अधिकारी,
जिला बिलासपुर, हि०प्र० ।

(34)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

**Government of Himachal Pradesh**

**Office of the District Collector Bilaspur, H.P.**

No.BLS-ADRA-1 (855)/16- 45692. Dated 13/12/16

**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In compliance to the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. Land, area measuring 2.26 hectares was vide D.L.C.C. meeting held on 14-07-2015 issued F.R.A. certificate on 10-08-2016 which was not on the prescribed proforma, for **Kendriya Vidyalya, Ghumarwin** hence the same on request of Education Department is reissued on the prescribed proforma. it is certified that 2.26 **hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Education Department for the Construction of Kendriya Vidyalya, Ghumarwin** in Bilaspur district falls within the jurisdiction of **Badota village in Bilaspur Ghumarwin Tehsil.**

**It is further certified that:**

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.26 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure V;

(b) The Proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest- dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The concerned Gram Sabha, has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and it has given its consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of the proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of **Badota** village of **Badota** Gram Sabha has been enclosed.

(d) The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha members present.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha has given its consent to it;

(f) The Rights of Primitive Tribal Groups and pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

**Rugved Thakur (I.A.S.)**
Dputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.

संख्याः बीएलएस–एडीआरए–1(855)/2015
कार्यालय उपायुक्त बिलासपुर,
जिला बिलासपुर, हि०प्र० ।

बिलासपुर,दिनांक 2015

उप–मण्डल अधिकारी (ना०)
सदर/घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि०प्र० ।

KENDRIYA VIDYALAYA GHUMARWIN DISTT. BILASPUR (H.P.) PIN 174021
676
20/8/2015

विषयः– **अनापति प्रमाण पत्र ।**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपसे प्राप्त मामले (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम (एफ०आर०ए०) 2006 के अंतर्गत गठित वन अधिकार समिति की बैठक दिनांक 14.07.2015 को प्रातः 11.00 बजे उपायुक्त, बिलासपुर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित प्रस्तावों पर अनापति प्रमाण पत्र जारी किये गये जाने की सहमति प्रदान की गईः–

| Sr.No. | Total Land | purpose. |
|---|---|---|
| 1. | 3.02 Hectare | **Diversion of govt. land for construction of link road from Solag-Rorri-Kohal to Jurasi Road.** |
| 2. | 2.26 Hectare | **Diversion of govt. land for construction of Kendriya Vidyalaya Ghumarwin Village Badota.** |
| 3. | 0.9933 Hectare | **Diversion of govt. land for construction of C.H.C. Ghwandal in Village Madyali Tehsil Sh. Naina Devi Ji.** |
| 4. | 0.816 Hectare | **Diversion of govt. land for construction of link road from NH-21 to Village Mehrog.** |
| 5. | 0.5134 Hectare | **Diversion of govt. land for construction of Bholi Dhadas Kothi Jabbal road.** |
| 6. | 2.768 Hectare | **Diversion of govt. land for construction of link road Methi to village Saikli.** |

भवदीय,

जिला राजस्व अधिकारी,
जिला बिलासपुर, हि०प्र० ।

Office
20/8/15

पृष्ठाकन संख्याः–यथोपरि– 38582 दिनांक 12/8/2015

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर को कमांक न० 3 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र सहित ।
2. अधिशासी अभियन्ता, हि०प्र०लो०नि०वि० मण्डल न० 2, बिलासपुर को कमांक संख्या 1, 4, 5 व 6 सहित ।
3. प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि०प्र० को कमांक संख्या 2 सहित ।

जिला राजस्व अधिकारी,
जिला बिलासपुर, हि०प्र० ।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT BILASPUR (H.P)

**Proceedings of the meeting of the District Level Committee constituted under Scheduled Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.**

A meeting of the District Level Committee of Bilaspur District constituted under FRA 2006 was held under the Chairpersonship of Manasi Sahay Thakur, Deputy Commissioner Bilaspur on 14-07-2015 at 11-00 A.M. in which the application for seeking NOC with regard to 2.26 Hectare forest land bearing Khasra No. 644/475/1 situated in Village Badota, Tehsil Ghumarwin, District Bilaspur under FRA ,2006 for construction of Kendriya Vidyalya, Ghumarwin, Tehsil Ghumarwin under Scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006 with the recommendation of Forest Right Committee, Gram Panchayat and Sub-Division Level Committee of Ghumarwin, Sub-Division was discussed.

After scrutiny of the documents and detailed discussions by the committee it was decided that no claim regarding land described above is pending for settlement. Hence NOC in favour of Kendriya Vidyalya Ghumarwin is issued.

District Collector District Bilaspur (H.P.)

Deputy Commissioner-cum-Chairman,
District Level Committee,
District Bilaspur (H.P)
Deputy Commissioner, Bilaspur District (H.P.)
10-8-15

(303)

(D)

**OFFICE OF THE SDO CIVIL), Ghumarwin**
**DISTRICT Bilaspur (H.P)**

**Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006 .**

A meeting of the Sub-Division level Committee of Ghumarwin Sub- Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship /chairpersonship of Mr/Ms. Rajiv Kumar, SDO(Civil) Ghumarwin on 9-9-2014 at 11. AM AM/PM at Ghumarwin (Place) in which the application(s) claiming rights in 2.26 hac. forest areas under FRA,2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Forest Right Committee (s) of Luharwin Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on each application :-

| Name of Applicant | Decision (Recommended/not Recommended) |
| --- | --- |
| 1. Principal | |
| 2. Kendriya Vidyalya | |
| 3. Ghumarwin | |

Place: Ghumarwin
Date : 9-9-2014

उप मण्डल अधिकारी (नागरिक)
घुमारवीं जिला बिलासपुर (हि० प्र०)
SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson
Sub-Division level Committee,
Ghumarwin Sub-Division.

आज दिनांक 7-9-2014 को वन अधिकार समिति ग्राम बडोग की बैठक अध्यक्ष श्री सदा राम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे :-

| क्रमांक | नाम व पिता/पति का नाम | पद का नाम | गांव | जाति | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सदा राम s/ सीता राम | अध्यक्ष | बडोग | NSC | Sadaram |
| 2 | ईशरा देवी w/ अच्छर सिंह ध्यान सिंह | | बडोग | NSC | ईसरा देवी |
| 3 | सावित्री देवी w/ अच्छर सिंह | सदस्या | बडोग | SC | सावित्री देवी |
| 4 | उर्मिला देवी w/o सूका राम | सदस्या | बडोग | SC | [thumb impression] |
| 5 | पुनमा देवी w/o दाता राम | सदस्या | बडोग | NSC | [signature] |
| 6 | पार्वती देवी w/ राज कुमार | सदस्या | बडोग | NSC | Parbati Devi |
| 7 | कुलदीप s/ मनशा राम | सदस्य | बडोग | NSC | Kulchand |
| 8 | धर्म सिंह चन्देल s/ सुरत राम | सदस्य | बडोग | NSC | [signature] |
| 9 | रूपलाल s/ लौहकू राम | सदस्य | बडोग | SC | रूप लाल |
| 10 | पंकज कुमार s/ गीरधल | सदस्य | बडोग | NSC | [signature] |

प्रस्ताव संख्या 01. केन्द्रीय विद्यालय धुमारवीं के भवन निर्माण कार्य शुरु करने बारे जंगलात भूमि खसरा नं. 644/475/1, राजस्व गांव बडोग की NOC बारे वन अधिकार समिति ने राजस्व विभाग के पटवारी / कानूनगो श्री सोमनाथ / बलदेव राम तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह के साथ खसरा नम्बर 644/475/1, रकबा 2.26 जिसके सन्दर्भ में केन्द्रीय विद्यालय धुमारवीं (उद्देश्य) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (विभाग का नाम) केन्द्रीय विद्यालय ने चाहा है का मौका पर निरीक्षण व्यक्तिगत तौर पर किया व अन्य छानबीन निम्न प्रकार से की गई :-

1. उक्त भूमि का नक्शा / ततीमा पटवारी तथा वन रक्षक ने समिति के समक्ष सत्यापित किया और ततीमा के अनुसार भूमि मौके पर check की गई।

2. उक्त भूमि पर समिति ने गांववासियों से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दावे मांगे तथा किसी प्रकार का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ।

3. उक्त भूमि पर गद्दी, गुज्जर या अन्य घुमन्तु समुदायों का किसी प्रकार का दावा समिति के समक्ष पेश ना हुआ तथा समिति मानती है कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि पर नहीं है।

अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (उद्देश्य) केन्द्रीय विद्यालय भवन हेतु समझने उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम वडोला के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। केन्द्रीय विद्यालय भवन के निर्माण के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति और उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है। यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बधित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है।

प्रस्ताव संख्या 02 जंगलात भूमि में कार्यालय A.D.A बनाने के लिये (N.O.C) बारे।

वन अधिकार समिति ने राजस्व विभाग के पटवारी / कानूनगो श्री सोमनाथ / बलदेव राम तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह के साथ भूमि खसरा नम्बर 125/10 रकबा 1 Bigha 14 Biswa as per. Jamabandi of the year. 1999-2000 जिसमें सन्दर्भ में A.D.A कार्यालय etc (उद्देश्य) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (विभाग का नाम) A.D.A. (Dep. of Prosecution) ने चाहा है। का मौका पर निरीक्षण व्यक्तिगत तौर पर किया व अन्य ध्यान निम्न प्रकार से की गई :-

1. उक्त भूमि का नक्शा / ततीमा पटवारी तथा वन रक्षक के साथ के समक्ष सत्यापित किया और ततीमा के अनुसार भूमि मौके पर check की गई।
2. उक्त भूमि पर समिति ने गांववासियों से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दावे मांगे तथा किसी प्रकार का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ।
3. उक्त भूमि पर गद्दी गुज्जर या अन्य घुमन्तु समुदायों का किसी प्रकार का दावा समिति के समक्ष पेश न हुआ तथा समिति मानती है कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि पर नहीं है।

अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (उद्देश्य A.D.A कार्यालय etc हेतु समझने उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम वडोला के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। ADA कार्यालय etc के निर्माण के लिए

(306)

उपयोग मे आने वाली वन भूमि की अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है। यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है।

प्रधान Sada Ram
वनाधिकारी कमेटी वड़ोटा
ग्राम पचायत लुहारवी,
तह० घुमारवी, जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

सचिव हुसरॉ देवी
वनाधिकारी कमेटी, वड़ोटा
ग्राम पंचायत लुहारवी,
तह० घुमारवी, जिला बिलासपुर (हि०प्र०)

पटवारी
पटवार वृत ...
कानूनगो ...
वृत ...
तहसील ...

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिलिपि/छायाप्रति मुताबिक मूल अभिलेख सही है।

सचिव
ग्राम पंचायत लुहारवीं,
तह0 घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

307

बैठक कार्यवाही वन अधिकार समिति बडोह ग्राम बडोह तहसील घुमारवीं जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ।

आज दिनांक 07.9.014 को वन अधिकार समिति ग्राम बडोह की बैठक अध्यक्ष श्री / श्रीमति रखा राम की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे:–

| क्रमांक | नाम व पिता/पति का नाम | पद नाम | ग्राम | जाति | हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | रखा राम s/ सीता राम | अध्यक्ष | बडोह | | |
| 2. | ईशरा देवी w/ श्याम सिंह | | -do- | NSC | Sachu Ram |
| 3. | सावित्री देवी w/ अच्छर सिंह | सदस्या | -do- | -do- | ईसरां देवी |
| 4. | उर्मिला देवी w/ सूर्मो राम | -do- | -do- | SC | सावित्री देवी |
| 5. | पुनमा देवी w/ छाता राम | -do- | -do- | SC | |
| 6. | पार्वती देवी w/ राज कुमार | -do- | -do- | NSC | |
| 7. | कुलदीप s/ मनसा राम | सदस्य | -do- | NSC | पार्वती देवी |
| 8. | चैन सिंह चन्देल s/ सरव राम | -do- | -do- | NSC | Kulchand |
| 9. | रूपलाल s/ सीहरू राम | -do- | -do- | NSC | |
| 10. | पंकज कुमार s/ वीरबल | -do- | -do- | SC | रूप लाल |
| | | | -do- | NSC | |

वन अधिकार समिति ने राजस्व विभाग के पटवारी/कानूनगो श्री सोमनाथ पटवारी बलदेव शर्मा कानूनगो तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह के साथ भूमि खसरा नम्बर 644/475/1 रक्वा 2.26 जिसके सन्दर्भ में केन्द्रीय विद्यालय घुमारवीं (उद्देश्य) के लिए अनापति प्रमाण पत्र (विभाग का नाम) केन्द्रीय विद्यालय ने चाहा है का मौका पर निरीक्षण व्यक्तिगत तौर पर किया व अन्य छानबीन निम्न प्रकार से की गई:–

1. उक्त भूमि का नक्शा / ततीमा पटवारी तथा वन रक्षक ने समिति के समक्ष ~~प्रस्तुत~~ सत्यापित किया और ततीमा के अनुसार भूमि मौके पर Check की गई।
2. उक्त भूमि पर समिति ने गांववासियों से वन अधिकारं अधिनियम 2006 के अंतर्गत दावे मांगे तथा किसी प्रकार का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ ।
3. उक्त भूमि पर गद्दी गुज्जर या अन्य घुमन्तु समुदायों का किसी प्रकार का दावा समिति के समक्ष पेश ना हुआ तथा समिति मानती है कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि पर नहीं है।

अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (उद्देश्य) केन्द्रीय विद्यालय घुमारवीं हेतू समझने उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम बडोह के अंतर्गत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। केन्द्रीय विद्यालय घुमारवीं भवन के निर्माण के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि की अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है । यह अनुमति वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित की जाती है। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है । प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप कार्यवाही के अनुरूप है ।

Sachu Ram
प्रधान
वन अधिकार समिति,
(मोहर: प्रधान, वनाधिकारी कमेटी बडोह, ग्राम पंचायत घुमारवीं, तह0 घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0))

ईसरां देवी
सचिव
वन अधिकार समिति,
(मोहर: सचिव, वनाधिकारी कमेटी, बडोह, ग्राम पंचायत घुमारवीं, तह0 घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0))

308

Annexure-II

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा लुहरवीं

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 03

दिनांक ..................

ग्राम सभा लुहरवीं ........................ की बैठक आज दिनांक 7.9.2014 को 11 बजे, स्थान पंचायत कार्यालय में श्री/श्रीमति सत देव की अध्यक्षता में की गई जिसमें ............... बनेष ..................... गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत बडोल जंगल/ वन क्षेत्र में (उद्देश्य) केन्द्रीय विद्यालय घुमारवीं के निर्माण के लिए २.×६ पु. खसरा 644/475 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) वन अधिकारों के लिए दावे हेतू इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :–

| क0 सं0 | पात्र गांव वासी का नाम | जंगल का नाम | वन अधिकार का ब्यौरा |
|---|---|---|---|
| | | | |

तदानुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को पारित करते हुए इसे उप खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :–

| क0 सं0 | पात्र गांव वासी का नाम |
|---|---|
| | |

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार बडोल जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान लुहरवीं

दिनांक २४.१०.२०११

(हस्ताक्षर)

सचिव
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
ग्राम पंचायत लुहारवीं,
तह0 घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

309

बैठक कार्यवाही ग्राम सभा लुहारवी
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006.

वन अधिकार समिति
ग्राम सभा लुहारवी

# प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 04

दिनांक 07/09/2014

ग्राम सभा लुहारवी की बैठक आज दिनांक 7.9.014 को 11 बजे, स्थान कार्यालय पंचायत में श्री/श्रीमति सत्य देव की अध्यक्षता में की गई जिसमें तडोह गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत तडोह जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें ) केन्द्रीय विद्यालय घुमारवीं भवन के निर्माण के लिए 2.26 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है।) बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लियाः–

| कमांक | पात्र गांववासी का नाम | गांव का नाम | वन अधिकार का ब्यौरा |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |

बैठक में वन अधिकार समिति तडोह द्वारा केन्द्रीय विद्यालय घुमारवीं (उद्देश्य) के लिए केन्द्रीय विद्यालय (विभाग) के पक्ष में दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के ऊपर विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राजस्व गांव तडोह में भूमि खसरा नम्बर 644/475/1 रक्वा 2.26 हैक्टेयर को केन्द्रीय विद्यालय घुमारवीं भवन (उद्देश्य) के लिए हस्तान्तरण करने पर इस ग्राम सभा को कोई एतराज नहीं है क्योंकि उक्त गांव में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत कोई मामला लम्बित नहीं है।

अतः ग्राम सभा अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती है।

स्थान लुहारवी
दिनांक 28/10/017

प्रधान [signature]
प्रधान
ग्राम पंचायत लुहारवीं,
ग्राम पंचायत
तह0 घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

[signature]
सचिव
सचिव,
ग्राम पंचायत लुहारवीं,
ग्राम पंचायत
तह0 घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0प्र0)